बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
बाढ़ नियंत्रण रुपांकण प्रमण्डल–2,
कमरा संख्या–208, ब्लॉक–बी0, जल संसाधन भवन, अनिसाबाद, पटना–2.

ई0 मेल–ee.fcdd2@gmail.com

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु द्वितीय पुनः अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना (NIQ)–01/2026–2027

संख्या–स्था0 (वाहन)–02–108/2024–   पटना–2, दिनांक–

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–20/बजट–स्था0 प्रा0 व्यय (विविध)–21–02/2024–70 दिनांक 19.11.2024 के परिपेक्ष्य में कार्यपालक अभियन्ता–सह–विधि पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को आवंटित विभागीय दायित्वों के निर्वहन निमित्त सभी कार्यदिवसों (आवश्यकतानुसार अवकाश/रविवार सहित) में परिचालन के लिए प्रतिमाह के दर से नियत किराया पर (सभी करों के सहित) एक अदद वाहन (ईधन रहित चालक सहित) उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक वाहन मालिकों/सेवा प्रदाताओं से मुहरबन्द द्वितीय पुनः अल्पकालीन कोटेशन निम्नांकित विवरणी के अनुसार आमंत्रित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	विवरण	विवरण एवं तिथि
1	2	3
1	कोटेशन आमंत्रण कर्त्ता	कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण रुपांकण प्रमण्डल–2, पटना।
2	कार्य की प्रकृति से अवगत होने हेतु अंतिम तिथि	दिनांक 27.07.2026 तक सभी कार्यालय अवधियों में।
3	कोटेशन आमंत्रण प्राप्ति स्थल	कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय, बाढ़ नियंत्रण रुपांकण प्रमण्डल–2, पटना। कमरा संख्या–208, ब्लॉक–बी0, जल संसाधन भवन, अनिसाबाद, पटना–2.
4	कोटेशन आमंत्रण प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 28.07.2026 के अपराहन 3.00 बजे तक सभी कार्यालय अवधियों में।
5	कोटेशन आमंत्रण खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 28.07.2026 को अपराहन 3.30 बजे कार्यपालक अभियन्ता के कार्यालय कक्ष में।

द्वितीय पुनः अल्पकालीन कोटेशन में अर्हक होने हेतु नियम एवं शर्तें निम्नांकित हैः–

1. वर्तमान में दिनांक 31.03.2027 तक के लिए अपूर्तित वाहन का एकरारनामा ₹1000.00 के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा, जो वाहन मालिक/सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। वर्तमान एकरारित अवधि में सेवा संतोषजनक रहने पर ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु पुनः ₹1000.00 के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना होगा।

2. वांछित वाहन बालेरो (Neo/Neo Plus मॉडल को प्राथमिकता)/स्कार्पियो का रंग सफेद होना चाहिए, जो वाणिज्यिक निबंधित होना चाहिए एवं वर्ष 2022 से पूर्व का नहीं होना चाहिए तथा अच्छी स्थिति एवं कार्यरत अवस्था में हो।
3. आपूर्तित वाहन का दैनिक रख–रखाव एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया इत्यादि उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक साफ–सफाई आदि पर होने वाला व्यय वाहन मालिक/सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जायेगा। चालक के पारिश्रमिक भुगतान, आवासन एवं भोजन इत्यादि का व्यवस्था वाहन मालिक/सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा।
4. एकरारित अवधि में वाहन का उपयोग वाहन मालिक/सेवा प्रदाता के द्वारा निजी एवं व्यवसायिक उपयोग हेतु नहीं किया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं रहने अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर पन्द्रह दिनों के नोटिस पर एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा।
5. वाहन 24 घंटे उपयोग हेतु कार्यपालक अभियन्ता–सह–विधि पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रण में रहेगा/उपलब्ध रखना होगा एवं किसी भी परिस्थिति में पूर्वानुमति के बिना कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन के खराब होने पर वाहन मालिक/सेवा प्रदाता का दायित्व होगा कि वे तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे। यदि वे इसमें असमर्थ रहते है तो उक्त अवधि का दुगुना किराया दण्ड स्वरुप कटौती कर शेष अवधि का भुगतान किया जायेगा।
6. वाहन के चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेवारी वाहन मालिक/सेवा प्रदाता की होगी।
7. वाहन मालिक/सेवा प्रदाता को वाहन से संबंधित सभी प्रकार के करों अर्थात् GST, Income Tax इत्यादि के देयता का भुगतान स्वयं करना होगा। विभाग/कार्यालय द्वारा मात्र वाहन के उपयोग के विरुद्ध निर्णित मासिक दर से ईंधन रहित देय होगा।
8. वाहन के सभी कागजात यथा मोटरयान नियम के तहत सभी प्रकार के Tax, Fasttag, Insurance, Pollution Certificate, Vehicle Registration, Road Tax एवं वाहन चालक का वैध Driving License इत्यादि को एकरारनामा अवधि के दौरान अद्यतन रखने की जिम्मेवारी वाहन मालिक/सेवा प्रदाता का होगा एवं उक्त सभी कागजातों को यात्रा के दौरान वाहन में निश्चित रुप से संधारित करना होगा। उक्त कागजात के अद्यतन नहीं होने अथवा वाहन में उपलब्ध नहीं रहने के कारणय यदि किसी प्रकार का दण्ड अधिरोपित होता है तो ऐसे आर्थिक दण्ड की देयता वाहन मालिक/सेवा प्रदाता द्वारा भारित होगा।
9. वाहन द्वारा वास्तविक रुप से प्रदत्त माईलेज (किसी भी परिस्थिति में 10 कि० मी० प्रति लीटर में कम नहीं) के अनुरुप मान्य होगा।
10. वाहन के उपयोग एवं भुगतान के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक/सेवा प्रदाता की जवाबदेही होगी, जिसमें वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर वास्तविक रुप से भुगतान किया जायेगा।
11. वाहन मालिक/सेवा प्रदाता को एकरारित सेवा का भुगतान विभाग से संबंधित मद में आवंटन प्राप्त होने पर किया जायेगा तथा वाहन मालिक/सेवा प्रदाता नियमानुसार सभी देय करों का भुगतान संबंधित प्राधिकार को किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
12. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता एवं रह सकता है। उक्त हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।
13. यदि किसी कारणवश वाहन मालिक/सेवा प्रदाता वाहन को एकरारनामा अवधि में आपूर्तित नहीं रखना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व कार्यालय को नोटिस समर्पित करना अनिवार्य होगा एवं नोटिस अवधि तक कर्तव्य निर्वहन हेतु एकरारित वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित रखना अनिवार्य होगा।
14. इच्छुक वाहन मालिकों/सेवा प्रदाता उपर्युक्त 1–13 तक की शर्ते स्वीकार्य होने संबंधी शपथ–पत्र मुहरबन्द द्वितीय पुनः अल्पकालीन कोटेशन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
15. यह द्वितीय पुनः अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण कभी भी बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार कोटेशन आमंत्रणकर्त्ता के पास सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

16. मुहरबन्द द्वितीय पुनः अल्पकालीन कोटेशन में वाहन मालिक/सेवा प्रदाता निम्नांकित सूचना/अभिलेख/कागजात की प्रति संलग्न करेंगेः–

- वाहन मालिक/सेवा प्रदाता एक आवेदन पत्र के रुप में अपना नाम, पिता का नाम, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, वर्तमान पता, स्थायी पता, आधार, ब्हाट्सएप नम्बर, ई0 मेल पता, पैन, जी0एस0टी0 नम्बर एवं वाहन का विवरण अंकित करेंगे। उक्त के अतिरिक्त चालक का नाम, पिता का नाम, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, वर्तमान पता, स्थायी पता, आधार, ब्हाट्सएप नम्बर अंकित करेंगे।

- उक्त के अतिरिक्त वाहन के सभी वैध कागजातों, वाहन मालिक/सेवा प्रदाता का आधार, पैन एवं जी0एस0टी0 नम्बर की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं चालक का आधार तथा वैध ड्राईविंग लाईसेन्स का सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- इच्छुक वाहन मालिकों/सेवा प्रदाता द्वारा समर्पित कोटेशन में आवेदन पत्र के साथ वांछित शपथ–पत्र एवं अन्य अभिलेख अनुपलब्ध रहने की स्थिति में कोटेशन को अमान्य कर दिया जायेगा।

- उपर्युक्त अभिलेखों से संबंधित मुहरबन्द लिफाफे के अतिरिक्त एक अन्य मुहरबन्द लिफाफे में पटना समाहरणालय, जिला नजारत शाखा के ज्ञापांक 2207 दिनांक 22.07.2025 द्वारा वर्तमान में बोलेरो का ईंधन रहित चालक सहित प्रतिमाह निर्धारित दर ₹31900.00 (इकत्तीस हजार नौ सौ रुपये) या उससे न्यून प्रतिमाह दर अंक एवं शब्दों में अंकित करना अनिवार्य होगा, जो वाहन मालिक/सेवा प्रदाता द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।

- बोलेरो के स्थान पर स्कार्पियो आपूर्ति करने वाले वाहन मालिक/सेवा प्रदाता को भी ईंधन रहित चालक सहित प्रतिमाह निर्धारित दर ₹31900.00 (इकत्तीस हजार नौ सौ रुपये) या उससे न्यून प्रतिमाह दर ही अनुमान्य होगा।

- पटना समाहरणालय, जिला नजारत शाखा द्वारा वर्तमान में वाहन का ईंधन रहित चालक सहित प्रतिमाह निर्धारित दर ₹31900.00 (इकत्तीस हजार नौ सौ रुपये) से अधिक उद्धृत दर मान्य नहीं होगा एवं उक्त समर्पित कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

- वाहन मालिक/सेवा प्रदाता दिनांक 28.07.2026 के अपराह्न 3.30 बजे द्वितीय पुनः अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण खोलने के समय स्वयं अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। द्वितीय पुनः अल्पकालीन कोटेशन खोलने के तुरन्त बाद कोटेशन दाताओं के कागजात एवं अभिलेखों का जाँच किया जायेगा। आवश्यक अभिलेखों के जाँचोपरान्त सफल पाये गये वाहन मालिक/सेवा प्रदाता का दर संबंधी लिफाफा खोला जायेगा, जिसमें न्यूनतम प्रतिमाह दर अंकित करने वाले कोटेशन दाता को द्वितीय पुनः अल्पकालीन कोटेशन हेतु सफल घोषित किया जायेगा। एक से अधिक समान न्यूनतम दर का कोटेशन प्राप्त होने पर उक्त कोटेशनदाताओं के बीच दिनांक 28.07.2026 के अपराह्न 4.30 बजे लॉटरी के माध्यम से वाहन उपलब्ध कराने हेतु वाहन मालिक/सेवा प्रदाता का चयन किया जायेगा।

- वाहन मालिक/सेवा प्रदाता के चयन के पश्चात् उन्हें वाहन उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया जायेगा। पत्र निर्गमन के एक पक्ष के अन्दर एकरारनामा कराना एवं वाहन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा अन्यथा यह चयन स्वतः अमान्य हो जायेगा। उक्त हेतु किसी प्रकार का अलग से आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा।

ह0/–
कार्यपालक अभियन्ता,
बाढ़ नियंत्रण रुपांकण प्रमण्डल–2
पटना।

ज्ञापांकः–स्था0 (वाहन)–02–108/2024–   पटना–2, दिनांक–

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रुपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक सह पठित ज्ञापांक 1482 दिनांक 26.11.2024 के क्रम में/अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण रुपांकण अंचल, पटना को गैर सरकारी प्रेषण संख्या–323 दिनांक 26.11.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

ह0/–
कार्यपालक अभियन्ता।

ज्ञापांकः–स्था0 (वाहन)–02–108/2024– 262   पटना–2, दिनांक– 09/07/2026

प्रतिलिपिः–सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि इस द्वितीय पुनः अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण का प्रकाशन पटना जिलान्तर्गत राष्ट्रीय/स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों एवं विभागीय बेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा किया जाय।

09/7/26
कार्यपालक अभियन्ता।